मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक / /2023

क्र. IPI/5/0009/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स विंग्स एग्रीकल्चर प्रा. लि. द्वारा ग्राम सिधगुवां, तहसील एवं जिला-सागर में रू. 210.00 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से दाल प्रसंस्करण हेतु औद्योगिक इकाई की स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP2206280001) पर निम्नानुसार सुविधायें दी जाये-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग सवंर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अंतर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 30 प्रतिशत की स्थिर दर से, बिना किसी सीमा के, शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को खाद्य गणक तथा रोजगार एवं निर्यात गणक का लाभ पृथक से पात्रतानुसार दिया जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रुपये 1/- प्रति यूनिट की छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जायेगी।

3. **विद्युत शुल्क से छूट-** परियोजना अंतर्गत स्थापित नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 7 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

4. **मण्डी शुल्क से छूट-** परियोजना को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 04/04/2022 अनुसार मण्डी शुल्क में छूट प्रदान की जाये। इसके अतिरिक्त, आयात किए गए खाद्यान्न पर संयत्र एवं मशीनरी में निवेश की अधिकतम 25% सीमा तक वाणिज्यक उत्पादन से पांच वर्षों हेतु मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

5. **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति-** भूमि आवंटन हेतु पट्टाविलेख निष्पादन पर चुकाई गई स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को की जाये।

6. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

7. इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत एमपीआईडीसी में आवेदन प्रस्तुत करने पर स्वीकृत सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा।

8. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगी।

9. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर.....

पृ. क्र. IPI/5/0009/2023/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 26/7/2023

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ ऊर्जा विभाग/ किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, सागर संभाग सागर।
4. कलेक्टर, जिला- सागर।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर, मेसर्स मेसर्स विंग्स एग्रीकल्चर प्रा. लि. ..... - की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग